न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 3/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/79

अनवान

1. पप्पुलाल पिता सोहनलाल बलाई निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. राजु लाल नायक – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 26/11/2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सगरेव, पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के हल्के प्रार्थी के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न आरायिजात स्थित :–

क्र.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में	वि.वि.
1	729	1001	0.22	
2		1003	0.18	
3		1008	0.22	
4		1009	0.16	
5		1059	0.12	
6		1060	0.23	
7		1066	0.40	
8		1071	0.22	
9		1148	0.31	
10		989	0.14	
	कुल किता	10	**2.20**	
1	936	459	0.05	
2		764	0.03	
3		765	0.05	
4		766	0.04	
5		767	0.06	
6		769	0.25	

सहायक कलक्टर

7		930	0.48	
8		933	0.26	
9		934	0.23	
10		935	0.22	
11		936	0.21	
12		937	0.26	
13		949	0.20	
14		950	0.10	
15		951	0.03	
16		952	0.07	
	कुल किता	16	**2.54**	
1	950	977	0.29	
2		978	0.33	
3		979	0.21	
4		980	0.25	
5		981	0.23	
6		982	0.43	
7		984	0.40	
	कुल किता	7	**2.14**	
1	799	1178	0.04	
1	797	1005	0.15	
2		1006	0.13	
3		1067	0.19	
4		1068	0.26	
5		1069	0.09	
	कुल किता	5	**0.82**	
1	798	1002	0.15	
		1007	0.16	
	कुल किता	2	**0.31**	

प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 तक की प्रस्तुत की है।

2. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम विरासत नामान्तकरण में गांव में प्रचलित उपनाम चम्पा पिता सोहनलाल बलाई अंकन है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम पप्पु पिता सोहनलाल बलाई है। प्रार्थी की कृषि आराजियात में प्रार्थी का नाम गलत होने से प्रार्थी अपनी कृषि भूमियों पर राजकीय सुविधाओ का लाभ नही ले पा रहे है।

3. अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि वादपत्र की कलम संख्या में अंकित खाता संख्या 729 में अंकित कुल किता 10 कुल रकबा 2.20 है0 भूमि, खाता संख्या 936 कुल किता 16 कुल रकबा 2.54 है0 भूमि, खाता संख्या 950 कुल किता 7 कुल रकबा 2.14 है0 भूमि, खाता संख्या 799 में अंकित कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 है0 भूमि, खाता संख्या 797 में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 0.82 है0 भूमि, खाता संख्या 798 में अंकित कुल किता 2

सहायक कलक्टर

कुल रकबा 0.31 है0 भूमि में प्रार्थी के लिखे गये गलत नाम चम्पालाल पिता सोहनलाल बलाई की जगह पप्पुलाल पिता सोहनलाल बलाई कर जमाबंदियों में नाम संशोधित करने आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम फरमाया जावे।

4. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में में विपक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

5. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब व मौका रिपोट में अंकन किया कि ग्राम सगरेव की जमाबन्दी 2076–79 के खाता संख्या 936 किता 16 रकबा 2.54 है0, खाता संख्या 798 किता 2 कुल रकबा 0.31 है0, खाता संख्या 97 किता 5 कुल रकबा 0.82 है0, खाता संख्या 799 रकबा 0.04 है0, खाता संख्या 729 किता 7 कुल रकबा 2.14 है0 में प्रार्थी पप्पुलाल का नाम चम्पालाल पुत्र सोला बलाई के नाम सामलाती दर्ज रेकार्ड होकर जमाबन्दी की प्रतियां साथ संलग्न है। अन्य बिन्दुओ के जवाब की आवश्यकता नही है। ग्राम सगरेव के नामान्तरण संख्या 2002 से प्रार्थी का नाम चम्पा पिता सोहन बलाई दर्ज था व वर्तमान जमाबन्दी में भी चम्पा पिता सोहन बलाई दर्ज रेकार्ड है, अतः रेकार्ड अनुसार नाम में कोई अशुद्वि नही हुई है।

6. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि ग्राम सगरेव के नामान्तरण संख्या 2002 से प्रार्थी का नाम चम्पा पिता सोहन बलाई दर्ज था व वर्तमान जमाबन्दी में भी चम्पा पिता सोहन बलाई दर्ज रेकार्ड है तथा रेकार्ड में किसी प्रकार की अशुद्वि नही हुई है। नामान्तरण की प्रति साथ संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटी नही हुई है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटी के प्रकरणो का निर्णय किया जाता है परन्तु इस प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटी नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::– आदेश –::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के विधिविरूद्व होने से खारीज किया जाता है कि प्रार्थी सक्षम धारा में न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद दायर कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/25 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर